

अंचल अधिकारी का कार्यालय: गोडडा सदर

आदेश-फलक

अतिक्रमण वाद संख्या 27 / 2018-19  
मौजा - मालनी, धाना नं० 367, खाता नं० 48, दाग नं० 112, किस्म-खास्ता  
IN/60D-48362  
G.O. No-2018-120757 Date: 28-11-2018

27.12.18

उपायुक्त कार्यालय के पंजी क्रमांक 28254

दिनांक 06-11-2018 एवं उक्त कार्यालय के आपांक 2344


दिनांक 29.11.18 के आलेख में श्री प्रेमलाल महता एवं श्री नारायण ठाकुर अंचल अमीन, गोडडा सदर द्वारा मौजा - मालनी, धाना नं० 367, खैरमजरा का खाता नं० 48, दाग नं० 112 किस्म खास्ता, जो ग्राम-मालनी में आरंभ और विभाग द्वारा कड़क निर्माण कराया जा रहा है का प्रतिवेदन विहीत प्रपत्र में स्वीकृत किया गया है। जो अभिलेख में दर्ज है। प्रतिवेदन का अवलोकन किया। जैसा प्रतिवेदन के अनुसार अतिक्रमण भूमि मौजा - मालनी में श्री राजीव मिश्रा, पिता-श्व शंकर मिश्रा एवं अन्य 15 (पंद्रह) व्यक्तियों के द्वारा उक्त भूमि के आंशिक भाग का अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमणकारियों का विस्तृत प्रतिवेदन संलग्न है। अतिक्रमण भूमि लोक भूमि के श्रेणी में आते हैं।

अतः मौजा - मालनी के अतिक्रमणकारियों को दो सप्ताह के अंदर अतिक्रमण भूमि को खाली करने हेतु मोटिया निर्गत करें।

लक्ष्मण



अ० अ०



अंचल अधिकारी

गोडडा सदर।

10.01.19

23.01.19

अभिलेख उपस्थापित । मौजा - मालनी के क्रमांक 01 से 16 तक के अतिक्रमणकारियों का नोटिस का नाममात्र प्राप्त हुआ है। कुछ अतिक्रमणकारियों का कहना है कि ग्रामीणों के कर्तव्य में नहीं किया गया है। पुनः नयी कचरा जमा

कारणक अतीत द्वारा नयी कार्य सही है


किया गया है। अतिक्रमणकारियों के द्वारा अवतक अतिक्रमण भूमि को खाली नहीं किया गया है। अतः अतिक्रमण भूमि को खाली करने हेतु प्रपत्र-II में नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 07-02-19 को प्रक

लैखापत्र




अं अ

  
29.1.19  
अंचल अधिकारी  
गोंडा स्टद


15.2.19

अभिलेख उपस्थापित / दिनांक 7.02.19 को मौजा मालनी के अतिक्रमण भूमि खाली करने हेतु प्रपत्र-II में नोटिस किया गया परंतु अतिक्रमणकारियों द्वारा खाली नहीं किया गया है। पुलिस/पुलिस पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारी प्रतिनिधित्व करने हेतु दिनांक 28.02.19 को अनुशासन पदाधिकारी को गोंडा को पर लिये।

लैखापत्र



अं अ

  
15.2.19  
अंचल अधिकारी  
गोंडा

28.02.19

अभिलेख उपस्थापित | दिनांक 28.02.19 को भोजा मालिकी का अतिक्रमण भूमि को शवाली करके ए. ए. ए. राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन लम्पट किया गया है। जो खलन है।

अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापत्र

अं अ०

28/2/19

अंचल अधिकारी  
गोड्डा